न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 51/14 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2014/00073

उनवान

1. भारतभूषण पुत्र ईश्वरी प्रसाद कौम ब्राहम्ण निवासी मौहल्ला गुमट बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
2. उमाशंकर शर्मा पुत्र गोविन्द प्रसाद कपरेले
3. रविशंकर शर्मा } पुत्र उमाशंकर शर्मा
4. राजेश कुमार शर्मा

} अकवाम ब्राहम्ण निवासी मौहल्ला पातालदेवी के पास बाडी तहसील बाडी, धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. मुन्नी पत्नी रामनिवास कौम ठाकुर निवासी ग्राम कुरेंदा तहसील बाडी।
2. सुदामा देवी पत्नी विशम्भर सिंह कौम ठाकुर निवासी ग्राम कुरेंदा तहसील बाडी।
3. रामपति पुत्र भीमाराम कौम गूजर निवासी सुल्तानपुर हाल निवासी पैट्रोलपम्प के पास सैपऊ रोड, बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
4. मुकेश पुत्र कमल सिंह जाति गूजर निवासी सुमेरपुर हाल पैट्रोल पम्प के पास सैपऊ रोड बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

..... असल रेस्पोडेण्ट

5. श्यामसुन्दर शर्मा } पुत्र उमाशंकर शर्मा
6. सुरेन्द्र
7. सुनीता
8. मन्जू } पुत्रीयान उमाशंकर शर्मा
9. ममता
10. गौरी

} अक0 ब्राहम्ण निवासीगण मौहल्ला पातालदेवी के पास बाडी, जिला धौलपुर।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर।

..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी दिनांक 13.05.2013 प्र0स0 25/12 उनवान मुन्नी बनाम भारतभूषण।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री राजेन्द्र सिंह राणा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री किशन सिंह त्यागी उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 28.08.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय दिनांक 13.05.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी असल रैस्पो0 द्वारा एक वाद

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 137 वाके कस्बा बाडी नं 1 तहसील बाडी जिला धौलपुर में स्थित है, जो पूर्व में गैर मुमकिन रास्ता की आराजी थी। संवत 2017 में विवादित आराजी के 7 टुकडे पर दिये एवं खसरा नम्बर 137/1 रकवा 1 बीघा तथा खसरा नम्बर 137/7 रकवा 15 विस्वा को रास्ता के लिये रख दिया एवं शेष पॉच टुकडो पर पन्ना, फादली, देवहंस, रामहंस, हरपाल, सूखा, अब्दुल रज्जाक खॉ, इनायत के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिये। संवत 2022 में तहसील बाडी में बन्दोबस्त कार्यवाही सम्पूर्ण हुयी। एवं उपरोक्त नम्बरो का बन्दोबस्ती नम्बर 151 रकवा 0 बीघा 7 विस्वा कायम कर खाता हरलाल, रामचरन, गजुआ, नत्था, सरवती, छोटी के नाम कायम कर दिया। जबकि विवादित आराजी तत्समय से आज तक मौके पर रास्ते के काम आ रही है। विवादित आराजी का विक्रय भी कई बार हो चुका है। अतः उक्त वयनामे प्रारम्भ से ही शून्य हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2013 से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। खसरा नम्बर 137 राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रभाव में आने से पूर्व का ही बना हुआ है। तत्कालीन कानून के अनुसार विवादित भूमि का जो हिस्सा काबिल काश्त था उसे खातेदारी में दे दिया गया एवं खसरा नम्बर 137/1 व 137/7 को रास्ते के लिये छोड दिया गया। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा घोषणात्मक किया, जो गलत है। यदि रैस्पो0 को विवादित आराजी को लेकर कोई उज्र था, तो उन्हें धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत संशोधन कराना चाहिये था। दावा भी मृतक व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री हुआ है। रैस्पो0 ने मृतक शीला देवी पत्नि उमाशंकर को पक्षकार बनाया, जबकि शीला देवी दावा करने से पूर्व ही फौत हो चुकी थी एवं उनके वारिसान के नाम नामान्तकरण तस्दीक हो चुका था। परन्तु रैस्पो0 ने मृतक शीला देवी के वारिसान को जानबूझकर पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाण्ट को कोई सम्मन जारी नहीं हुये एवं सीधे अखबार साया कराकर तामील मानते हुये, एक पक्षीय डिक्री पारित करा ली। अपीलाण्ट को अपना पक्ष रखने/सुनवाई का कोई मौका ही नहीं मिला। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई का मौका देते हुये, विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जावें।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। यह सही है कि शीला देवी की मृत्यु हो चुकी थी एवं नामान्तकरण भी तस्दीक हो चुका था। परन्तु जमाबन्दी में नामान्तकरण का अमल नहीं होने के कारण शीला देवी को ही पक्षकार मुकदमा बनाया गया। अखबार साया से तामील करायी है एवं अखबार साया से तामील पर्याप्त मानी जावेगी। विवादित आराजी पूर्व में रास्ता की रही है एवं आज भी रास्ते के उपयोग में आ रही है। दावा में लिखने से अनुतोष प्रदान करने पर

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कोई असर नहीं पडता है। दावा को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के नीचे माना जा सकता है एवं बन्दोबस्त की कार्यवाही में हुयी त्रुटि को सुधारा जा सकता है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2012 पेज 814, आरआरटी 2008(1) पेज 151, 2016(1) पेज 93, 2022–23 पेज 650, एआईआर 2011 पेज 1150, 2013 पेज 472, डीएनजे 2017 पेज 115, आरएलडब्ल्यू 2014(1) पेज 564 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट के अभिभाषक द्वारा गुणावगुण पर बहस नहीं की जाकर तकनीकी आपत्तियों पर बहस की गयी है। दौराने बहस रैस्पो0 के अभिभाषक द्वारा भी शीला देवी की मृत्यु दावे से पूर्व होना एवं अखबार साया से तलवी होने के तथ्य को स्वीकार किया है। हमने मनन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय एवं मृतक के खिलाफ डिक्री हुआ है एवं अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। अतः हम अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को पुनः उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का मौका देते हुये, विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधीसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है, तब तक उभयपक्ष विवादित भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 30.09.2024 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर